–सत्तानवे–

प्रेषक,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश शिविर, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 1179/प्रेरणा/शि0का0लख0/2006 दिनांक 11.9.2006

विषयः– विक्रय लेखपत्रों के प्रस्तुतीकरण के समय विक्रय लेखपत्रों के साथ विक्रय लेखपत्र में उल्लिखित सम्पत्ति की फोटो प्रस्तुत करने/लेखपत्र के साथ लगाये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि शासन द्वारा समुचित स्टाम्प राजस्व वृद्धि/वसूली पर विशेष जोर दिया जा रहा है, परन्तु प्रायः यह देखने में आ रहा है कि क्रेता–विक्रेता द्वारा आपस में दुरभिसंधि कर उप निबन्धक कार्यालयों में विक्रय लेखपत्रों के प्रस्तुतीकरण के समय विक्रय लेखपत्रों में स्टाम्प अधिनियम की धारा–27 का उल्लंघन करते हुए करापवंचन की दृष्टि से सही तथ्यों का उल्लेख नहीं किया जाता है, जिससे लेखपत्रों में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक भवनों का निबन्द्न मात्र भू–खण्डों के आधार पर ही उप निबन्धक स्वीकार करने हेतु विवश होता है। प्रदेश में क्रेता–विक्रेता के मध्य यह प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ रही है, इससे एक ओर जहाँ शासन को यथासमय समुचित स्टाम्प राजस्व की प्राप्ति नहीं होती, वहीं दूसरी ओर स्थल निरीक्षण के उपरान्त प्रदेश में स्टाम्प वादों की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि होती है तथा कालान्तर में उप निबन्धकों के विरुद्ध भी करापवंचन कराने का दोषी मानते हुए अनुशासनिक/विभागीय कार्यवाहियां प्रारम्भ करने हेतु बाध्य होना पड़ता है।

उपरोक्त समग्र स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए स्टाम्प राजस्व के करापवंचन पर अंकुश लगाने हेतु सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि उप निबन्धक कार्यालयों में प्रस्तुत होने वाले नगरीय क्षेत्र के विक्रय लेखपत्रों के साथ विक्रय लेखपत्र में उल्लिखित सम्पत्ति की फोटो भी प्राप्त कर लेखपत्र के साथ लगाया जाना सुनिश्चित किया जाये, ताकि स्टाम्प करापवंचन की प्रवृत्ति पर रोक लग सके। यह प्रक्रिया दिनांक 03.10.2006 से प्रभावी मानी जायेगी।

कृपया उक्त प्रक्रिया का आदेश सम्बन्दित उप निबन्धकों व उप निबन्धक कार्यालयों से जुड़े हुए अधिवक्ताओं एवं दस्तावेज लेखकों को अपने स्तर से निर्गत करते हुए कड़ाई से पालन सुनिश्चित करायें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
(सुनील कुमार)
महानिरीक्षक निबन्दन,
उ0प्र0 शिविर, लखनऊ।

पत्रांकः 1179(1–3)/प्रेरणा/शि0का0लख0/2006 दिनांक 11.9.2006

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर महानिरीक्षक निबन्धन (प्रशासन/विभागीय/प0क्षे0), उ0प्र0 इलाहाबाद/शिविर, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/जिला निबन्धक, उत्तर प्रदेश।

(सुनील कुमार)

महानिरीक्षक निबन्धन,
उ0प्र0 शिविर, लखनऊ।